न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
फौजदारी परिवाद सं0–2369/2026
हिमांशु शर्मा बनाम डॉ0 यू0वी0सिंह

दिनांक 12.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गई। पुकार पर परिवादी हिमांशु शर्मा मय विद्वान अधिवक्ता सुश्री शशि वर्मा उपस्थित। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के प्रश्न पर सुना गया। पत्रावली लंच बाद आदेश हेतु पेश है।

(साहिस्ता बानों)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

लंच बाद–

पत्रावली लंच बाद आदेश हेतु पेश हुई।

2. संक्षेप में परिवादी का कथन है कि परिवादी और विपक्षी के मध्य व्यापारिक लेन–देन था। विपक्षी ने अपनी देनदारी की एवज में परिवादी को एक चैक संख्या 022402, मुब0 4,00,000/–रूपये दिनांकित 30.01.2026, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिजनौर सिटी, बिजनौर का इस आश्वासन के साथ दिया कि उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान हो जायेगा। विपक्षी के आश्वासन पर परिवादी ने उक्त चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जो कि दिनांक 11.02.2026 को ''Ambiguity'' की टिप्पणी के साथ बिना भुगतान के परिवादी को वापस कर दिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 07.03.2026 को विपक्षी को एक विधिक नोटिस जारी किया, जिसमें विपक्षी से 15 दिनों के भीतर चैक की राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। उक्त नोटिस विपक्षी के सही पते पर विधिवत भेजा गया, जो कि लेने से इन्कार की टिप्पणी के साथ परिवादी को वापस प्राप्त हो गया। अतः विपक्षी पर नोटिस की प्रलक्षित तामीली (Deemed Service) मानी जाती है, परन्तु बावजूद उसके विपक्षी द्वारा परिवादी को चैक में वर्णित धनराशि अदा नहीं की। अतः विपक्षी को तलब कर दण्डित करने की प्रार्थना की गई।

3. परिवादी द्वारा धारा 223(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत स्वयं का शपथ पत्र दाखिल कर परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन किया गया तथा धारा 225 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत दस्तावेजी साक्ष्य में सूची से मूल चैक संख्या–022402, बैंक मीमो दिनांकित 11.02.2026, नोटिस दिनांकित 07.03.2026, डाक रसीद दिनांकित 07.03.2026, मूल लिफाफा व ट्रेक रिपोर्ट आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

4. पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी और विपक्षी के मध्य व्यापारिक

लेन–देन था। विपक्षी ने अपनी देनदारी की एवज में परिवादी को एक चैक संख्या 022402, मुब0 4,00,000/–रूपये दिनांकित 30.01.2026, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिजनौर सिटी, बिजनौर का इस आश्वासन के साथ दिया कि उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान हो जायेगा। विपक्षी के आश्वासन पर परिवादी ने उक्त चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जो कि दिनांक 11.02.2026 को ''Ambiguity'' की टिप्पणी के साथ बिना भुगतान के परिवादी को वापस कर दिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 07.03.2026 को विपक्षी को एक विधिक नोटिस जारी किया, जिसमें विपक्षी से 15 दिनों के भीतर चैक की राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। उक्त नोटिस विपक्षी के सही पते पर विधिवत भेजा गया, जो कि लेने से इन्कार की टिप्पणी के साथ परिवादी को वापस प्राप्त हो गया। अतः विपक्षी पर नोटिस की प्रलक्षित तामीली (Deemed Service) मानी जाती है, परन्तु बावजूद उसके विपक्षी द्वारा परिवादी को चैक में वर्णित धनराशि अदा नहीं की। उल्लेखनीय है कि परिवादी के कथनों का समर्थन पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से होता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी डॉ0 यू0वी0 सिंह के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है और वह उपरोक्त धारा के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

7. अभियुक्त **डॉ0 यू0वी0 सिंह** को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु बजरिये समन न्यायालय के समक्ष तलब किया जाता है। परिवादी गवाहन सूची 7 दिन के भीतर न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें तथा धारा 227 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

8. पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक 05.11.2026 को पेश हो।

(साहिस्ता बानों)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।